| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

नरसिंह राजपुरोहित पुत्र बिहारी लालजी राजपुरोहित गाँव पुराडा पोस्ट पोमावा जिला पाली

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर

प्रथम सूचना अपील संख्या :– 53/2022

जीसीएमएस नं. :– 2022/139

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

## –: निर्णय :–

1|4|22

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 17.01.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर ने जवाब प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक 42 दिनांक 31.03.2022 के अपीलांट को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. अपीलांट ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सुमेरपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा अपीलांट को भिजवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सुमेरपवुर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्राप्त सूचना के संबंध मे आपति जाहिर करते हुए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होना बताया है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सुमेरपुर का निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

7. निर्णय आज दिनांक 01/4/2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

नमित मेहता<br>
प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली